न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 35/2019

दायर दिनांक: 11.11.2019

निर्णय दिनांक 12.03.2024

—:अनवान:—

1. श्रीमति कान्ता कुवर बेवा किशन सिंह जी जाति राव आयु 91 वर्ष निवासी सेंवाली तहसील व जिला राजसमन्द

—— **अपीलाण्ट**

बनाम

1. श्री अरविन्द कुमार उर्फ अरविन्द सिंह पिता गुलाब सिंह जी जाति राव आयु 61 वर्ष निवासी सेंवाली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री विजय सिंह पिता गुलाब सिंह जी राव आयु 45 वर्ष निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली हाल निवासी अरिहन्त प्लाजा, दुकान नम्बर 5, थर्ड फ्लोर नम्बर 20/21 विरप्पन स्ट्रीट, स्वो कारपेट, चैन्नई 600079
3. श्रीमति राजकंवर पुत्री किशन सिंह जी पत्नि श्री गुलाब सिंह जी जाति राव आयु 83 वर्ष निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली

—— **रेस्पोडेण्टगण**

श्रीमान तहसीलदार सा0 राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम सेंवाली पटवार हल्का राजनगर के नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 05.04.2004 को निर्णित करने के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:—

1— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलाण्ट

2— रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम सेंवाली तहसील राजसमन्द में श्री किशन सिंह जी पिता मोखम सिंह जी राव निवासी सेंवाली तहसील व जिला राजसमन्द के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की भूमि एवं अन्य सम्पतियॉ स्थित रही। श्री किशन सिंह के अपीलाण्ट कान्ता कुवर पत्नि है तथा श्री किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुवर के एक मात्र सन्तान पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर

3 राजकुंवर है, इनके अलावा कोई सन्तान एवं वारिश नही है। किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर की पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकंवर की शादी गांव भीटवाडा तहसील बाली निवासी श्री गुलाब सिंह जी पिता भवानी सिंह जी के साथ हुई, रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुंवर एवं गुलाब सिंह जी राव निवासी भीटवाडा के पुत्र होकर स्व0 किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर के दोहिते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जब छोटा था तब ही स्व0 किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट अपने पास गांव सेंवाली ले आये तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक की शिक्षा दिक्षा, पालन पोषण एवं शादी करवाई तथा अपने साथ ही रखा। किशन सिंह जी पिता मोखम सिंह जी राव का स्वर्गवास दिनांक 04/01/2004 को हो गया और उनके वारिसान में अपीलाण्ट पत्नि एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 पुत्री है, इनके अलावा स्व0 किशन सिंह जी राव के अन्य कोई वारिश नही हैं। अपीलाण्ट ने अपनी वृद्धावस्था होने एवं अपनी सम्पति को सही व्यक्ति को देने के लिए राजस्व अभिलेखो की नकले दिनांक 01.10.2019 को निकलवाई तो जाहिर आया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के साथ ही रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को स्व0 किशन सिंह जी का गोदपुत्र बता राजस्व अभिलेखों में नाम इन्द्राज किया हुआ नजर आया तो अपीलाण्ट को आश्चर्य हुआ तथा नामान्तरकरण की नकले दिनांक 01.11.2019 को निकलवाई तो आक्षेपित नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को स्व0 किशन सिंह जी का गोद पुत्र बताकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के साथ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का भी नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित कर दिया गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 स्व0 किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर के गोद पुत्र नही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को कभी गोद नही लिया न ही गोद की कोई रश्म पुरी हुई, ऐसा लगता है स्व0 किशनसिंह की वृद्धावस्था में उनकी बिना जानकारी के अवैध व शुन्य दस्तावेज निष्पादित करा उक्त अवैध व शुन्य दस्तावेज को आधार बना गलत रूप से मिलिभगत कर किशन सिंह जी की मृत्यु परान्त राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया जो कि अवैध है। अपीलाण्ट कान्ता कुंवर की सहमति से कभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अथवा किसी को भी गोद नही लिया गया न ही कानुनन कोई दो पुरूष व्यक्ति एक पुरुष व्यक्ति के गोद जा सकते सारा कृत्य ही प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है, उक्त सारा कृत्य हिन्दु दत्तक अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होकर अवैध व शुन्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त कृषि भुमियों में कोई हक अधिकार नही होता हैं। आक्षेपित नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण अपास्त किया जावें और स्व0 किशनसिंह जी के वारिसान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ही होने से उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। किन्तु रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई उपस्थिति नही।

अधिवक्ता अपीलांट एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गयी तथा लिखीत बहस का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन व लिखीत बहस में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सेवाली तहसील राजसमन्द में श्री किशन सिंह जी पिता मोखम सिंह जी राव निवासी सेंवाली तहसील व जिला राजसमन्द के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की भूमि एवं अन्य सम्पतिया स्थित रही। श्री किशन सिंह जी के अपीलाण्ट कान्ता कुवर पत्नि है तथा श्री किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुवर के एक मात्र सन्तान पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुंवर है. इनके अलावा कोई सन्तान एवं वारिश नहीं है। किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर की पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुवर की शादी गांव भीटवाडा तहसील बाली निवासी श्री गुलाब सिंह जी पिता भवानी सिंह जी के साथ हुई। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुंवर एवं गुलाब सिंह जी राव निवासी भीटवाडा के पुत्र होकर स्व० किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर के दोहिते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जब छोटा था तब ही स्व0 किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट अपने पास गांव सेवाली ले आये तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक की शिक्षा दिक्षा, पालन पोषण एवं शादी करवाई तथा अपने साथ ही रखा। किशन सिंह जी पिता मोखम सिंह जी राव का स्वर्गवास दिनांक 04/01/2004 को हो गया और उनके वारिशान में अपीलाण्टपत्नि एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 पुत्री है, इनके अलावा स्व० किशन सिंह जी राव के अन्य कोई वारिस नही हैं। अपीलाण्ट ने अपनी वृद्धावस्था होने एवं अपनी सम्पति को सही व्यक्ति को देने के लिए राजस्व अभिलेखो की नकले दिनांक 01.10.2019 को निकलवाई तो जाहिर आया की अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के साथ ही रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को स्व0 किशन सिंह जी का गोदपुत्र बता राजस्व अभिलेखों में नाम इन्द्राज किया हुआ नजर आया तो अपीलाण्ट को आश्चर्य हुआ तथा नामान्तरकरण की नकले दिनांक 01.11.2019 को निकलवाई तो आक्षेपित नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को स्व0 किशन सिंह जी का गोद पुत्र बताकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के साथ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का भी नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित कर दिया गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 स्व० किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर के गोद पुत्र नही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को कभी गोद नही लिया न ही गोद की कोई रश्म पुरी हुई, ऐसा लगता है स्व0 किशनसिंह की वृद्धावस्था में उनकी बिना जानकारी के अवैध व शुन्य दस्तावेज निष्पादित करा उक्त अवैध व शुन्य दस्तावेज को आधार बना गलत रूप से मिलिभगत कर किशन सिंह जी की मृत्यु परान्त राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया जो कि अवैध है। अपीलाण्ट कान्ता कुंवर की सहमति से कभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अथवा किसी को भी गोद नहीं लिया गया न ही कानुनन हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 (5) से स्पष्ट है कि कोई दो पुरूष व्यक्ति; एक पुरुष व्यक्ति के गोद जा सकते है। सारा कृत्य प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है, उक्त सारा कृत्य हिन्दु दत्तक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित होकर अवैध व शुन्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त कृषि भुमियों में कोई हक अधिकार नहीं होता है। आक्षेपित नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 गोद पुत्र नही है। कानुनन दो पुरूष व्यक्ति

न्यायालय जिला कलक्टर

को हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 (5) के तहत गोद नहीं लिया व दिया जा सकता है। आक्षेपित नामान्तरकरण खोला गया वह प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित खोला गया है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गयी तथा लिखीत बहस का अवलोकन किया गया। बहस पर गहन मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2004 को फैसल किये गये नामान्तरण संख्या 117 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलान्ट स्वर्गीय किशनसिंह की पत्नि है तथा श्री किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुवर के एक मात्र सन्तान पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुंवर है, इनके अलावा कोई सन्तान एवं वारिश नही है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकुंवर एवं गुलाब सिंह जी राव निवासी भीटवाडा के पुत्र होकर स्व0 किशन सिंह जी एवं अपीलाण्ट कान्ता कुंवर के दोहिते है और हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 (5) के अनुसार कोई दो पुरूष व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति के गोद नही जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 05.04.2004 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार समस्त विधिक वारिसान की जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 05.04.2004 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से किशनसिंह के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही सम्पादित करें।

Bullo.

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Bullo

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद